झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक सीधी भर्त्ती नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन सं0–01/2018 एवं बैकलॉग भर्त्ती विज्ञापन सं0–02/2018 के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के विभिन्न पदों पर **सीधी भर्त्ती विज्ञापन सं0–(विज्ञापन सं0–01/2018) एवं बैकलॉग भर्त्ती (विज्ञापन सं0–02/2018) के** साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा हेतु अंतिम रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का आयोग कार्यालय में **दिनांक–25.06.2018 से अभिलेख सत्यापन एवं दिनांक–27.06.2018 से साक्षात्कार** कार्यक्रम की तिथिवार पूर्ण विवरणी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।**

2. साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call Letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के विभिन्न पदों पर **सीधी भर्त्ती–(विज्ञापन सं0–01/2018) एवं बैकलॉग भर्त्ती (विज्ञापन सं0–02/2018)** के विरूद्ध अंतिम रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध सूची अनुसार **दिनांक–20.06.2018 अपराह्न 05:00 बजे** से अपना **रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि** डालकर बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नम्बर 0651–2213009 पर कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।

4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान **ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि** एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण–पत्रों के अनुरूप निम्न प्रमाण पत्रों की **मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तीन सेटों** में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:–

I. उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

II. इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

III. भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित Branch में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा एम०डी०, एम०एस०, डी०एन०बी० अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा एम०सी०एच०, डी०एम० की डिग्री का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

IV. चिकित्सक के रूप में निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र।

V. झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग–I (BC-I)/ पिछड़ा वर्ग–II (BC-II) कोटि के अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या–**01/2018** एवं विज्ञापन संख्या–**02/2018** में दिए गए निदेश एवं ऑनलाईन आवेदन में अंकित जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकार अर्थात् झारखण्ड राज्य अन्तर्गत उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत किया गया हो उस प्रमाण पत्र की संख्या, निर्गत तिथि एवं निर्गत प्राधिकार के **अनुरूप** समर्पित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा। **ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र से अलग जाति प्रमाण पत्र या मूल प्रति स्वीकार्य नहीं होंगे।**

VI. निःशक्त (Physically Handicapped) अभ्यर्थी (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) द्वारा ऑनलाईन आवेदन में किए गए दावे एवं संबंधित प्रविष्टि के **अनुरूप** सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

VII. सरकारी सेवक के दावे के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

VIII. दो पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटोग्राफ।

IX. अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

5. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।